न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार आई. ए. एस.
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./42/2025/बाड़मेर

अपीलांट्स (वादी)–

- लुणसिंह पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित, उम्र 85 साल निवासी– झाबरा हाल निवासी –सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर

बनाम

उत्तरदातागण (प्रतिवादीगण) :–

1. श्रीमती इन्द्रकंवर पत्नी कलमसिंह फौत के कायम मुकाम–

1/1. रेंवतसिंह पुत्र कलसिंह फौत के कायम मुकाम–

1/1/1. शिवनारायणसिंह पुत्र रेंवतसिंह

1/1/2 पुखराजसिंह पुत्र रेंवतसिंह

1/1/3. सुखीकंवर पत्नी रेंवतसिंह

1/1/4. रामचन्द्रसिंह पुत्र रेंवतसिंह

1/1/5. हरीसिह पुत्र रेवतसिंह, जातियान राजपुरोहित, निवासीयान झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर

1/1/6.मीरांकंवर पुत्री रेंवतसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बावडी, तहसील व जिला फलौदी

1/1/7. शारदा पुत्री रेंवतसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी पुरोहितों का वास, फींच तहसील लुणी, जिला जोधपुर

1/1/8. प्रिंयका पुत्री रेंवतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर

1/2. जेठीकंवर पुत्री कलसिंह पत्नी नारायाणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी थोब, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

1/3. पपूकंवर पुत्री कलसिंह पत्नी अनोपसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी घेवडा, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर।

1/4. लीलाकंवर पुत्री कलसिंह पत्नी भोमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी थोब, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर

2. केशरसिंह पुत्र राणसिंह

3. चैनसिंह पुत्र राणसिंह

4. दलपतसिंह पुत्र अखेसिंह

5. धनसिंह पुत्र मुल्तानसिंह

6. नेमसिंह पुत्र मुल्तानसिंह

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

7. प्रेमसिंह पुत्र अखेसिंह
8. भगवानसिंह पुत्र राणसिंह
9. भैरसिंह पुत्र राणसिंह
10. रेंवतसिंह पुत्र मुल्तानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झावरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर
11. सुगनोदेवी पत्नी किशनाराम, जाति सुथार, निवासीयान झावरा, तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
12. तगसिंह पुत्र पुरखसिंह
13. नरपतसिंह पुत्र पुरखसिंह
14. नारायणसिंह पुत्र पुरखसिंह
15. लेहरो पत्नी पुरखसिंह
16. हनुमानसिंह पुत्र पुरखसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, हाल बावडी, तहसील फलोदी, जिला फलौदी।
17. गणपतसिंह पुत्र नखतसिंह
18. जेठूसिंह पुत्र मालसिंह
19. जडावकंवर पुत्री नखतसिंह पत्नी किशोरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी कोलू पाबूजी, तहसील देचू, जिला फलौदी
20. टीकमसिंह पुत्र नखतसिंह
21. पपूकंवर पुत्री मालसिंह पत्नी हुकमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बिसुकला, तहसील शिव, जिला बाडमेर
22. बाबूसिंह पुत्र मालसिंह
23. भैरूसिंह पुत्र चुनसिंह
24. रेंवतसिंह पुत्र चुनसिंह
25. लक्ष्मीदेवी पुत्री मालसिंह पत्नी नरपतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी लखा, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर।
26. शैतानसिंह पुत्र नखतसिंह
27. सुवाकंवर पुत्री मालसिंह पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी कनोडिया, तहसील शैखाला, जिला जोधपुर।
28. हरकंवर पत्नी मालसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासीयान झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर
29. कमलाकंवर पत्नी मनाराम, जाति जाट, निवासी बिदासर दासनिया, तहसील, शेरगढ जिला जोधपुर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

30. सुराराम पुत्र राणाराम, जाति जाट, निवासी विडदासर दासनिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
31. देवाराम पुत्र राणाराम, जाति जाट, निवासी विडदासर दासनिया, तहसील शेरगढ ,जिला जोधपुर।
32. पपूदेवी पत्नी भंवराराम, जाति जाट, निवासी विडदासर दासनिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
33. लेहरों पत्नी आसूराम, जाति जाट, निवासी विडदासर दासनिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
34. अर्जुनसिंह पुत्र खमाणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झावरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।
35. किशनाराम पुत्र रूगाराम, जाति जाट, निवासी दासनिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
36. खंगारसिंह पुत्र खमाणसिंह लाआलौद फौत–

36/1. वारिसभाई अर्जुनसिह पुत्र खमाणसिंह

36/2. भतीज जेठूसिंह पुत्र सुजानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।

37. चन्द्रकंवर पत्नी नाथूसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियणा, जिला जैसलमेर।
38. जेठूसिंह पुत्र सुजानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।
39. नाथूसिंह पुत्र कानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।
40. पारसराम पुत्र रूगाराम, जाति जाट, निवासी डाडे की बेरी, दासनिया तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
41. मूलीकंवर पत्नी अर्जुनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।
42. मोडसिंह पुत्र मुकनसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।
43. रामचन्द पुत्र रूगाराम, जाति जाट, निवासी डाडे की बेरी, दासनिया तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
44. रामसिंह पुत्र मुकनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।
45. हरखू पत्नी रूगाराम, जाति जाट, निवासी डांडे की बेरी, दासनिया,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसील शेरगढ, जिला जैसलमेर।

46. भंवरसिंह पुत्र बाघसिंह फौत के कायम मुकाम–

46/1. भीखीकंवर पत्नी भंवरसिंह

46/2. माधूसिंह पुत्र भंवरसिंह

46/3. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह

46/4. जसवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह

46/5. मोतीसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झावरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।

46/6. मुनाकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी आसूसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी थोब, तहसील ओसिया, तहसील जोधपुर।

46/7. मंजूकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी सवाईसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुर, तहसील बालोतरा, जिला बालोतरा।

46/8. नेमीकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी स्वरूपसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी पुषड, तहसील शिव, जिला बाडमेर।

47. नैनकंवर पुत्री कानसिंह पत्नी ओमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी थोब, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

48. राधाकंवर पुत्री कानसिंह पत्नी खीमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी थोब, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

49. हवाकंवर पुत्री कानसिंह पत्नी प्रेमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी थोब, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

50. श्रीमान तहसीलदार, भणियाणा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

51. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा फलसुण्ड, जिला जैसलमेर।

52. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा भणियाणा।

53. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा रातडिया।

54. नरपतसिंह पुत्र जसंवतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2025 बउनवान लुणसिंह बनाम श्रीमती इन्द्रकंवर के का. गु. वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति–

1. वकील श्री राजेश बिश्नोई अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पों. संख्या 1/1/3, 2 से 4, 18, 41, 42 की ओर से।
3. वकील श्री कपिल चौधरी रेस्पों. संख्या 28, 34 व 46/1 की ओर से।
4. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक:–13.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा झाबरा में वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 231 रकबा 246.19 बीघा, खसरा संख्या 272 रकबा 32.12 बीघा, खसरा संख्या 280 रकबा 62.04 बीघा, खसरा संख्या 300 रकबा 16.16 बीघा, खसरा सख्या 302 रकबा 46.14 बीघा, खसरा संख्या 315 रकबा 917 बीघा, खसरा संख्या 328 रकबा 317.15 बीघा कुल रकबा 1637 बीघा की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आलोच्य वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा झाबरा में वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 231 रकबा 246.19 बीघा, खसरा संख्या 272 रकबा 32.12 बीघा, खसरा संख्या 280 रकबा 62.04 बीघा, खसरा संख्या 300 रकबा 16.16 बीघा, खसरा सख्या 302 रकबा 46.14 बीघा, खसरा संख्या 315 रकबा 917 बीघा, खसरा संख्या 328 रकबा 317.15 बीघा कुल रकबा 1637 बीघा की भूमि आई हुई है। उक्त खातेदारी अधिकार हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आलोच्य वाद प्रस्तुत किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय आनन–फानन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वादी/अपीलांट 1/4 हिस्से पर लगातार काबिज–काश्त हैं। अपीलांट व्यवसाय व मजदूरी के सिलसिले में आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व ग्राम सालावास चला गया, वादी/अपीलांट द्वारा अपने उक्त खातेदारी खेत को कभी–कभी संभालने के लिए गांव झाबरा आता जाता रहा है। हस्तगत भूमि में सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने से खेती वर्षा पर निर्भर करती है। वादी द्वारा स्वयं की उक्त आराजी को खेती करने के लिए अन्य सहखातेदारों एवं नजदीकी रिश्तेदारों को सहमति दी है। जिस पर प्राप्त फसल का सहखातेदारान अपीलांट को चौथा हिस्सा लगातार देते रहे हैं। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने उक्त 1/4 हिस्से की खातेदारी हेतु आलोच्य वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर बाद तामील रेस्पों./प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर तथाकथित बंटवारा दिनांक 26.05.1976 का हवाला देते हुए विधि विरूद्ध जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया है। जबकि उक्त तथाकथित बंटवारे की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त बंटवारे पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं थे। जिससे यह भली भांति प्रमाणित होता है कि अपीलांट को उक्त बंटवारे की कोई जानकारी नहीं है और उक्त बंटवारा अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। उक्त तथाकथित बंटवारे के द्वारा अपीलांट को समस्त रकबा 1637 बीघा में से 1/4 हिस्से में से रकबा 409.05 बीघा कम करते हुए अपीलांट के नाम मात्र 46.08 बीघा भूमि ही रखी गई। उक्त भूमि किस आधार पर कम की गई। उक्त के संबंध में तथाकथित बंटवारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है। उक्तानुसार उक्त तथाकथित बंटवारा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार करते हुए हल्का कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त समस्त कार्यवाही सम्पादित की है उक्त तथाकथित बंटवारा का दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं होने से इसकी सत्यता पर संदेह होने से स्वीकार योग्य नहीं है। ना ही उक्त तथाकथित बंटवारे को किसी सक्षम न्यायालय या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त बंटवारे के आधार पर रेस्पों. द्वारा अपीलांट की हस्तगत भूमि की हड़प करने की नियत से हल्का पटवारी एवं सरपंच से मिलीभगत कर उक्त तथाकथित बंटवारे का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। जो विधिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर प्रश्नगत म्यूटेशन पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार विहीन पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण के लिये सुस्थापित विधि की भी विवेचना पूर्ण रूप से नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादपत्र को खारिज कर दिया, जबकि विधि अनुसार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उसी वाद पत्र को खारिज किया जाता है जिसमें वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हो या वाद विधि द्वारा वर्जित हो, लेकिन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आलोच्य वाद पत्र में अपीलाधीन निर्णय में वर्णित कारणों में से कोई ऐसा ठोस आधार नहीं था जिससे वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 के आधर पर खारिज किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नही करते हुए प्रारम्भिक स्तर से ही अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है जो विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों से परे जाकर उक्तानुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वाद पत्र के कथनों में सहमति से बंटवारा व अन्य वास्तविक तथ्यों एवं कथनों को छिपाकर दावा पेश किया है। तथ्यों को छिपा कर गलत तथ्यों के साथ वाद पेश किया था। वादीगण/अपीलांट न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। जहां तक म्यूटेशन का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि म्यूटेशन सक्षम ऑथिरिटी द्वारा पारित किया गया है। अपीलांट हस्तगत आराजी में से मात्र 46 बीघा का ही लगान चुकाते आ रहे हैं, एवं इतनी ही भूमि पर काबिज–काश्त थे। उक्त प्रश्नगत म्यूटेशन राजीनामे/सहमति से पारित बंटवारे के आधार पर पारित किया गया था। जिससे हस्तगत अपील विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रश्नगत म्यूटेशन वादी की सहमति के आधार पर पारित किया गया है। जिसको अपीलांट/वादीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। लगभग 30 वर्षों बाद खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो विधि द्वारा बाधित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत केवल रेकार्डेड व काबिज–काश्त व्यक्ति ही दावा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर सकता है। उक्त प्रकरण में निषेधाज्ञा का वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय वादीगण अपने स्वयं के द्वारा तत्समय प्रस्तुत सहमति के तथ्यों को छिपाकर पेश किया था इसलिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 की परिधि में वर्णित तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन एवं विधि द्वारा बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली व वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान गहनता से अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण का ज्ञान होने के बावजूद नामान्तरकरण की सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देकर अपीलाधीन वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। लम्बी अवधि गुजर जाने पर भी म्यूटेशन की अपील किसी सक्षम न्यायालय में नहीं कर उद्घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया गया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा

(नसीर कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व वाद संख्या 48/2025 बउनवान लुणसिंह बनाम श्रीमती इन्द्रकंवर के का. मु. वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2025 को यथावत रखा जाता है।

13/11/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर